



ELEVATION



SITE PLAN



GROUND FLOOR PLAN




PART OF MAHARAJA

KEY PLAN

संपूर्ण प्रकल्प मालकी प्रमाणित करणे याचा उद्देश आहे. यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे व त्यांच्यावर आवश्यक असे सर्व कागदपत्रे प्राप्त करणे हे या प्रकल्पामधील सर्व कामे आहेत. यासाठी या प्रकल्पामधील सर्व कामे पूर्ण करणे हे या प्रकल्पामधील सर्व कामे आहेत.


25 MM TH. FLOOR FINISH
75 MM TH. L.C
EARTH FILLING

SECTION AT A-B



FOUNDATION DETAIL OF 230 TH. WALL SCALE : 1:10

FOUNDATION DETAIL OF 115 TH. WALL SCALE : 1:10



PARAPET 300 HT.

MUMTY LVL. +9000

PROPOSED SEED PROCESSING CENTER MAP OF M/S LUCKNOW HM GREEN CITY PVT. LTD. AT KHASARA NO. 6 & 7, VILL - BHUHERA, PAR. DEVA, TEH. - NAWABGANJ, DISTT. - BARABANKI.

AREA STATEMENT

1. NET PLOT AREA = 3600 SQ.M.
2. TOTAL COVD. AREA = 359.95 SQ.M.
3. TOTAL OPEN AREA = 3240.05 SQ.M.

A. DATE = 28.09.2020
B. BUILDING = 18.25 MC X 11.72 MC

NOTE: Area Statement by Ground contour
Scale used is 1:1000
Prepared by M/S. LUCKNOW HM GREEN CITY PVT. LTD.
Checked by M/S. LUCKNOW HM GREEN CITY PVT. LTD.

OPENING SCHEDULE

S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	URN. LVL.	REMARKS
1.	OW	2400X2100	± 8.00	2100	DOOR
2.	D	8050X2100	+ 0.00	2100	DOOR
3.	D1	9000X2100	± 8.00	2100	DOOR
4.	D2	7500X2100	± 8.00	2100	DOOR
5.	W	12000X2100	+ 9.00	2100	WIN.
6.	W1	15000X2100	± 9.00	2100	WIN.
7.	V	6000X6000	+1500	2100	VEN.

DETAILS OF BOUNDARIES

1. IN EAST
2. IN WEST
3. IN NORTH
4. IN SOUTH



SCALE AS SHOWN
DATE 28-09-2020

SIGN. OF OWNERS
SIGN. OF ARCHITECTS

LUCKNOW HM GREEN CITY PVT. LTD.
OWNER

LUCKNOW HM GREEN CITY PVT. LTD.
ARCHITECTS

VECTORSPACE

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS,
CONSTRUCTION & PROJECT
CONSULTANTS
PLOT NO. 10, PASTORAL COMPLEX, FAZLKHAN ROAD, LUCKNOW
CIN. - 0222 -

(नियम 24 का उपनियम 2 देखिए)

केवल निर्माण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रपत्र

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी
जिला-बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

सेवा में,

सौ.सर. क.ब.व.क. प्रा. लि. द्वारा त्रिदेवाण
अ.ब.क.र. कमरुद्दीन श. कमरुद्दीन खान
जताम भूदेवा, जलपट्ट - बाराबंकी ।

महोदय,

कालोनी मार्ग..... जताम भूदेवा..... मोहल्ला/बाजार.....
नगर बाराबंकी के प्लॉट..... घर के खसरा सं० ०६ २२व ०७
भवन सं०...../में निर्माण/सारवान/परिवर्तन/गिराने के
लिए अनुज्ञा देने के आपके आवेदन-पत्र..... 164/2020 दिनांक 09/10/2020
के संदर्भ में आपको सूचित करना है कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृति दे दी गयी
है/देने से इन्कार कर दिया है-

1. स्वामित्व विवादित पाये जाते पर सातचित्त स्वतः तिरस्त समझा जायेगा ।
2. निर्माण के पश्चात् Completion Certificate प्राप्त करना होगा ।
3. निर्माण भू-कम्प शीघ्र कराना होगा ।
4. प्रस्तावित स्थल पर निम्नानुसार धसागर वृक्ष काटे होंगे ।
5. सातचित्त स्वीकृत तिथि से 5 वर्ष तक मान्य होगा ।
6. अधुक्त निरीक्षण के पत्र मेमो/ मा.आ./ वि०.सं० - बाराबंकी / 2020-21 दिनांक 12.10.2020 में दी गयी शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा । स्व. स्थल का उपयोग केवल सीड प्रो. सेमिंग केंद्र हेतु किया जायेगा किसी अन्य उपयोग हेतु नहीं ।
7. भारत सरकार के पर्यवेक्षण वल व जलपट्ट परिवर्तन संलाकम की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी 2018 में दी गयी शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा ।

संलग्नक :-

- 1- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति ।
- 2- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2018 की छायाप्रति ।
- 3- सहयुक्त नियोजक अयोध्या का पत्र मेमो/ मा.आ./ वि०.सं० - बाराबंकी / 2020-21 दिनांक 12.10.2020 की छायाप्रति ।

कार्यालय सूचना संख्या..... 164/2020
दिनांक स्वीकृत 20-11-2020



(Signature)
नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी ।

कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

परमिट संख्या: 232/मानचित्र/जि0पं0/2022-23 दिनांक: 26 मई, 2022

- 1-श्री अबुबकर कमरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन खान,
निदेशक,
लखनऊ एच0एम0 ग्रीन सिटी,
निवासी-125/2 ख, जे0सी0 बोस मार्ग,
3 क्विन्टन रोड लालबाग, जनपद लखनऊ
- 2-श्री शफीक उल्लाह पुत्र अजीमउल्लाह,
निवासी-फ्लैट नं0-4, फ्लोर स्क्वेर काम्प्लेक्स,
मतीनपूर्वा, शंकरपुरवा, विकास नगर, लखनऊ ।

अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 19-05-2022 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि गाटा संख्या-1843घ/0.317हे0, 1843ड/0.111हे0 व 1843ध/0.133हे0 स्थित ग्राम खसपरिया, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में लखनऊ एच0एम0 ग्रीन सिटी प्रा0लि0 के नाम से ले-आउट प्लान निर्माण हेतु भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 5609.48 वर्गमीटर के सापेक्ष भू-आच्छादन 57.91 प्रतिशत, पार्क का क्षेत्रफल 908.37 वर्ग मीटर, सड़क मार्ग का क्षेत्रफल 1360.26 वर्गमीटर छोड़ते हुए प्लानिंग हेतु कुल कवर्ड एरिया 3248.30 वर्ग मीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 24-05-2022 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृति दिनांक 24-05-2022 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 18 अप्रैल, 2020 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

- (1) अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
- (2) मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
- (3) समस्त सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा/अनापत्ति प्राप्त न किये जाने की दशा में परमिट स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (4) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं है।
- (6) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
- (7) प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
- (8) प्रतिबंध यह रहेगा कि ले-आउट प्लान निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 3248.30 वर्ग मीटर एवं ओपेन एरिया 2361.18 वर्ग मीटर से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
- (9) प्रतिबंध यह रहेगा कि 12 मीटर सड़क के दोनों ओर व 09 मीटर सड़क के एक ओर तथा ग्रीन एरिया में अधिकतम 10-10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (10) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भूमि का विकास कार्य नहर की सीपेज ड्रेन एवं रेट नाला/नदी के डूब क्षेत्र को छोड़कर तथा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


- (11) प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
- (12) प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश व सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना अनिवार्य व बन्धनकारी होगा।
- (13) प्रतिबंध यह रहेगा कि विक्रेता द्वारा सम्पत्ति को खरीदारों में बिक्री से पूर्व भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (RERA) में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।
- (14) सड़क, नाली, सीवर लाईन, बिजली व मार्ग प्रकाश, ग्रीन एरिया, जलापूर्ति प्रणाली, पार्क, वाटर बाडी आदि समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा तथा समस्त विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त ही प्लॉटों की बिक्री प्रारम्भ की जायेगी।
- (15) तल पट निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को तल पट स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।
- (16) भारत सरकार अथवा उ०प्र० सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण अनुमन्य नहीं है।
- (17) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (18) स्वीकृत मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से ऊर्ध्वाकार दूरी 3.70+(0.305 मीटर) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं 1.80+(0.305 मीटर) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
- (19) राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मीटर और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मीटर होना आवश्यक है।
- (20) निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (21) उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
- (22) किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, बाराबंकी इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी होगा। स्वामित्व विवादित पाये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (23) स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
- (24) प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- (25) स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।


अभियन्ता,
जिला पंचायत, बाराबंकी





अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत बाराबंकी

पृष्ठांकन संख्या: /मानचित्र/जि०पं०/2021-22तददिनांकित।



प्रतिलिपि : सचिव, उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बाराबंकी।

PROPOSED LAY - OUT PLAN MAP OF -SRI SHAFEEK ULLAH S/O. SRI AJEEM ULLAH AND LICKNOW HM GREEN CITY PVT.LTD. BY DIRECTOR -SRI. ABUBAKAR S/O. KAMRUDDEN KHAN SITUATED AT, KHASRA NO.- 1843(ANGA), 1843(DHA), 1843(GHA) VILLAGE- KHASPARIYA, PARGANA-DEWA, TAHSIL- NAWABGANJ, BARABANKI




SAJARA PLAN



SITE PLAN

DETAIL PLOTS OF AREA

- 01- 55.71X13.00M. - 724.84 SQMT.
- 02- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 03- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 04- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 05- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 06- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 07- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 08- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 09- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 10- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 11- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 12- 12.10X15.24M. - 184.78 SQMT.
- 13- 12.10X15.24M. - 184.78 SQMT.
- 14- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 15- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 16- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 17- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 18- 7.62X15.24M. - 114.87 SQMT.
- 19- 12.10X15.24M. - 184.78 SQMT.
- 20- 6.09X15.24M. - 92.84 SQMT.
- 21- 12.10X15.24M. - 184.78 SQMT.
- 22- 12.10X15.24M. - 184.78 SQMT.
- 23- 6.09X15.24M. - 92.84 SQMT.
- 24- 12.10X15.24M. - 184.78 SQMT.




KEY PLAN

AREA STATEMENTS

TOTAL LAND AREA	= 6097.49 SQMT. - 1.00%
SAY PLOT AREA	= 2348.30 SQMT. - 37.91%
PARK AREA	= 996.37 SQMT. - 16.50%
ROAD AREA	= 1560.25 SQMT. - 24.26%
OPEN AREA	= 972.55 SQMT. - 16.59%

REFERENCES



DRAIN LINE	— — — — —
R.W.A	○ R.W.A
ELECTRIC POLE	T
PROPOSED ROAD	— — — — —
EXISTING ROAD	— — — — —
WATER SUPPLY	— — — — —
S.T.P.	□ S.T.P.



Ac. Jeer Ahsan
 011200215151575

OWNER


PROPOSED LAY-OUT PLAN MAP OF - SRI SHAFEEK ULLAH S/O. SRI. AJEEM ULLAH AND LUCKNOW HIM GREEN CITY PVT.LTD. BY DIRECTOR -SRI. ABLBAKAR S/O. KAMRUDDEN KHAN SITUATED AT, KHASRA NO.-1843(ANGA), 1843(DHAI), 1843(GHA) VILLAGE- KHASPARIYA, PARGANA-DEWA, TAHSIL-NAWABGANJ, BARABANKI.



LAY-OUT PLAN
SCALE 1:1000




SAJARA PLAN




WATER SUPPLY SYSTEM

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including 'DATE: 27.02.2016' and 'SCALE: 1:1000'.

PLOT OF OTHERS



SITE PLAN
SCALE 1:200



KEY - PLAN

DETAIL PLOTS OF AREA


- 01- DAVISON - 0804 SQMT.
- 02- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 03- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 04- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 05- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 06- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 07- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 08- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 09- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 10- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 11- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 12- 11.18X1524M - 168.78 SQMT.
- 13- DAVISON - 0804 SQMT.
- 14- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 15- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 16- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 17- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 18- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 19- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 20- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 21- 11.18X1524M - 168.78 SQMT.
- 22- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 23- 74X1524M - 116.12 SQMT.
- 24- 11.18X1524M - 168.78 SQMT.

AREA STATEMENTS

TOTAL LAND AREA	= 5689.48 SQMT. - 100%
SAY MOI AREA	= 3248.30 SQMT. - 57.91%
ROAD AREA	= 1360.16 SQMT. - 24.24%
PARK AREA	= 200.00 SQMT. - 3.52%
OPEN AREA	= 92.02 SQMT. - 1.62%

REFERENCES


RAIN LINE	=====
R.W.E.	○ R.W.E.
ELECTRIC POLE	T
PROPOSED ROAD	—————
EXISTING ROAD	—————
WATER SUPPLY	—————
S.T.P.	□ S.T.P.




OWNER
[Signature]

As per Amount
DN:02/12/15



PROPOSED RESIDENTIAL MAP OF - SMT. BASRA KHATOON W/O. SRI. MAOULNA HAFIZ HIZULLAH AND SMT. SEMA AUBAKAR W/O. AUBAKAR KAMRUDDIN SITUATED AT KHASRA NO- 143(GHA) VILLAGE- KHASPARIYA, PARGANA- DEWA, TAHSIL- NAWABGANJ, BARABANKI.




FRONT ELEVATION



SECTION AT-A-B




SAJARA PLAN




GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN




TERRACE FLOOR PLAN



KEY PLAN



SITE PLAN



AREA STATEMENTS

TOTAL LAND AREA	= 208.24 SQM
COVERED AREA	= 141.91 SQM
OPEN AREA	= 67.90 SQM
COVERED AREA	= 142.24 SQM
TOTAL COVERED AREA	= 284.18 SQM

DETAIL DOOR & WINDOW

DOOR - D - 6'3X2'8 1/2"
 WINDOW - W - 6'6'X2'8 1/2"

REFERENCES

- DRAIN LINE
- SEWER LINE
- RAIN WATER PIPE
- PROPOSED WIRE
- EXISTING WIRE



Basra
 OWNER



ARCHITECT

NO. 1110 - 26/08/2009
 Date: 26/08/2009
 Smt. Basra Khatoon



Mob. : 9305559142

PATEL BUILDING DESIGNER

Planner Designer & Estimator

Gurdwara Road, BEGAM GANJ Near-Lakhperabagh Chauraha, Barabanki

Ref. No.

Date :

SUMMARY OF ESTIMATED - COST

The Estimated Cost Of Proposed Residential Building Plan Of,
SMT. Basra Khatoon W/O Sri. Maulana Hafiz Hafizullah & Smt. Seema
Abubakar W/o. Abubakar Kamrudeen Situated At Khasra No.- 1843
(GHA)., Village- Khaspariya , Pargana - Dewa, Tehsil- Nawabganj, District-
Barabanki (U.P).

According to p.w.d.rate 2022 construction cost is as following-----

G.F. covered area _____ 143.94x18280 = 2631223.20

F.F. Covered area _____ 143.94x18280 = 2631223.20

Total amount = 5262446.40

Electification/ water supply- 12% of total amount = 631493.56

Grand Total = 5893939.96

Labour cess 1% of total amount - 58939.39

Say Rs. = 58900.00

(Rupees fifty eighty Thousand nine Hundred Only)

Ajaya
ER. AJAY SRIVASTAVA

Er. Ajai Kumar
Patel Building Designer
Planner, Designer, Estimator Valuer
L.No. 39/II/PA 2021-22
Regulated Area Barabanki

कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

परमिट संख्या: 1110 / मानचित्र/जि0प0/2022-23 दिनांक: 28 सितम्बर, 2022

1-श्रीमती बासरा खातून

पत्नी मौलाना हफीजुल्लाह,
निवासी बकौलीकला, घनघटा,
जिला संत कबीरनगर

2-श्रीमती सीमा अबूबकर

पत्नी श्री अबूबकर कमरुद्दीन,
निवासी ग्राम कौडीया, पोस्ट तोवा सरॉयमीर,
जिला आजमगढ़।

अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 19-09-2022 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा/गाटा संख्या-1843घ स्थित ग्राम खसपरिया, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी पर आवासीय भवन निर्माण हेतु कवर्ड एरिया 286.08 वर्ग मीटर एवं बाउण्ड्रीवाल की लम्बाई 35.42 मीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 24-09-2022 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृति दिनांक 24-09-2022 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 18 अप्रैल, 2020 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

- (1) अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
- (2) मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
- (3) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
- (4) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
- (5) प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लेण्ड कन्ट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
- (6) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवासीय भवन निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 286.08 वर्ग मीटर एवं ओपेन एरिया 65.90 वर्ग मीटर से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
- (7) प्रतिबंध यह रहेगा कि कम से कम 03 वृक्ष का वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (8) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भूमि का विकास कार्य नहर की सीपेज ड्रेन एवं रेट नाला/ नदी के डूब क्षेत्र को छोड़कर तथा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (9) प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार कराया जायेगा।

- (10) प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
- (11) प्रतिबंध यह रहेगा कि भवनों के स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी/संस्था का होगा।
- (12) प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
- (13) भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।
- (14) स्वीकृत मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से ऊर्ध्वाकार दूरी $3.70 + (0.305 \text{ मीटर})$ प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं $1.80 + (0.305 \text{ मीटर})$ प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
- (15) भवन में किसी शौचालय को गली की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।
- (16) शौचालय का निर्माण पलस टाइप का होना चाहिए, जिसके लिये सेप्टिक टैंक, टैंक व शोक पिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- (17) भारत सरकार अथवा उ०प्र० सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण अनुमन्य नहीं है।
- (18) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (19) भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेंमी० रखी जाय। दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (20) निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (21) उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
- (22) किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, बाराबंकी इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी होगा।
- (23) स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
- (24) प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- (25) स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अभियन्ता,
जिला पंचायत बाराबंकी

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत बाराबंकी

HUMAIRA GARDEN



ROUTE MAP



DEVELOPED BY:-
LUCKNOWHM GREENCITY PVT. LTD.
 8 / 883 / 2, Vikas Nagar, Kurram Nagar Road,
 Opp. Fatima Masjid, Lucknow.
 e-mail : hmcity7374@gmail.com
 Office : 0522-4301189



लखनऊ एच एम गोल्डेन सिटी

लाये हैं आप सबके लिए एक बेहद शानदार
हाइटेक टाउनशिप मेन हाइवे फैजाबाद रोड पर

आवासीय कालोनी

हर एक का सपना
लखनऊ शहर में
घर हो अपना



सुविधायें

● कामर्शियल मार्केट ● हास्पिटल ● पब्लिक पार्क
● कालेज ● मेरेज लान ● शापिंग कॉम्प्लेक्स
● सिक्योरिटी गार्ड से लैस गेटेड कालोनी ● ड्रेनेज
सिस्टम ● स्ट्रीट लाइट ● सी0सी0टी0वी0 कैमरा
आदि बहुत सी विशेषतायें एवं सुविधाओं से युक्त
टाउनशिप

साइड से दूरी

T.L.M. हास्पिटल साइड के सामने	50 मी0 की दूरी पर
हीरो बाइक शो-रूम	50 मी पर
ब्राइट मारुती कार एजेन्सी	60 मी0 की दूरी पर
नया बस स्टॉप - साइड के सामने	200 मी0 की दूरी पर
सागर इंजीनियरिंग कालेज	200 मी0
जयपुरिया कालेज	250 मी0
बाराबंकी शहर की दूरी	2 किमी0
रसीली रेलवे स्टेशन की दूरी	3 किमी0
साइड से लखनऊ शहर की दूरी	15 किमी0
साइड से एअर पोर्ट की दूरी	25 किमी0
साइड से हिन्द मेडिकल कालेज	6 किमी0

HM
GOLDEN
CITY

NEAR CHAUPULA CHAURAMA, BARABANKI BYPASS
HERO BIKE AGENCY, NH-28, FAZLABAD ROAD, BARABANKI
DEVELOPED BY:
LUCKNOWHM GOLDEN CITY PVT. LTD.
HEAD OFFICE : 8/ 582 / E, Vikas Nagar, Eastern Nagar Road,
Opp. Fatima Masjid, Lucknow
email : hmcgcity73@gmail.com
Office : 9822-4301169



Presents

GOLDEN CITY


Gated Hi-Tech Township

हर एक का सपना
लखनऊ शहर में
घर हो अपना

Project of LUCKNOWHM Golden City



GOLDEN CITY



RESIDENTIAL PLOTS (EMI)

	22'-0" x 40'-0" = 800.00 sqft
	25'-0" x 40'-0" = 1000.00 sqft
	25'-0" x 50'-0" = 1250.00 sqft
	30'-0" x 50'-0" = 1500.00 sqft
	40'-0" x 50'-0" = 2000.00 sqft

CORNER PLOTS (EMI)

Plot No. 1, 11, 23, 24, 25	30'-0" x 50'-0" = 1500 sqft
Plot No. 2	40'-0" x 50'-0" = 2000 sqft
Plot No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	40'-0" x 50'-0" = 2000 sqft
Plot No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189	30'-0" x 50'-0" = 1500 sqft

HM GOLDEN CITY
 NEAR CHALPULA CHALURAMA, BARABANKI BYPASS
 HERO BIKE AGENCY, NH-26, FAIZABAD ROAD, BARABANKI
 DEVELOPED BY:- **LUCKNOWHM GOLDEN CITY PVT. LTD.**
 HEAD OFFICE - B / 863 / 3, Vikas Nagar, Karama Nagar Road,
 Opp. Fatima Masjid, Lucknow.
 e-mail : hmcity737@gmail.com
 Office : 8222-4301180

अवध बिहार



कॉलोनी

1. गोल्डन सिटी लाये हैं नई प्लानिंग के साथ E.M.I पर प्लॉट 30% और 35% की दर से बुकिंग।
2. गोल्डन सिटी में 48 से 60 माह की आसान किस्तों में प्लॉट उपलब्ध है।
3. गोल्डन सिटी में ग्राहक को 1 से 10 तारीख तक किस्त जमा करने की सुविधा दी जाती है।
4. किस्त की धनराशि कम्पनी के अकाउंट में NEFT/RTGS या कैश द्वारा भी जमा होगी।
5. चेक बाउन्स होने पर बाउन्सिंग चार्ज देना होगा।
6. समय के अनुसार किस्त जमा न होने पर रू0 500/- अतिरिक्त देय होगा।
7. समय के अनुसार 3 माह तक किस्त नहीं जमा होने पर प्लॉट कैंसिल हो सकता है।
8. बुक हुए प्लॉट को कैंसिल करने पर 15% धनराशि काट कर बाकी बची हुई रकम वापस होगी।
9. कॉर्नर या पार्क फेसिंग प्लॉट पर मात्र रू. 100/- अतिरिक्त देय होगा।



E.M.I STRUCTURE

मात्र
रू.1099
 प्रति वर्ग फिट

800 SQ. FT. 20X40	1000 SQ. FT. 25X40	1250 SQ. FT. 25X50	1500 SQ. FT. 30X50
Down Payment 3,07,720/-	Down Payment 3,84,650/-	Down Payment 4,80,812/-	Down Payment 5,76,975/-
EMI 11,905/-	EMI 14,882/-	EMI 18,602/-	EMI 22,323/-
EMI Period 48 Months	EMI Period 48 Months	EMI Period 48 Months	EMI Period 48 Months
Total Payment 8,79,200/-	Total Payment 10,99,000/-	Total Payment 13,73,750/-	Total Payment 16,48,500/-
1600 SQ. FT. 40X40	1800 SQ. FT. 45X40	2000 SQ. FT. 40X50	2000 (CORNER) SQ.FT. 40X50
Down Payment 6,71,440/-	Down Payment 7,55,370/-	Down Payment 7,69,3000/-	Down Payment 8,39,300/-
EMI 25,978/-	EMI 29,225/-	EMI 29,764/-	EMI 32,472/-
EMI Period 48 Months	EMI Period 48 Months	EMI Period 48 Months	EMI Period 48 Months
Total Payment 19,18,400/-	Total Payment 21,58,200/-	Total Payment 21,98,000/-	Total Payment 23,98,000/-
2250 (CORNER) SQ.FT.45X50	2400 (CORNER) SQ.FT.40X60	3000 (CORNER) SQ. FT. 50X60	
Down Payment 80,9,325/-	Down Payment 8,63,280/-	Down Payment 10,79,100/-	
EMI 31,474/-	EMI 33,572/-	EMI 41,965/-	
EMI Period 60 Months	EMI Period 60 Months	EMI Period 60 Months	
Total Payment 26,97,750/-	Total Payment 28,77,600/-	Total Payment 35,97,000/-	





ROUTE MAP



DEVELOPED BY:
LUCRANOWAN GREEN CITY PVT. LTD.
1100, The Forum Building, Connaught Place,
New Delhi - 110028
Phone: 011-26242018



the market

ALMAS ENCLAVE

मात्र*

नॉन कॉर्नर प्लॉट ₹1399/-

कॉर्नर प्लॉट ₹1499/-



9X 579

HM
GREEN
CITY

DATE: 14/07/11
LOCKNOWN GREENCITY PVT. LTD.
F-143, 5th Floor, Sector 14, Gurgaon Road,
Gurgaon, Haryana, India
www.locknowngreen.com

ONLY*

HM CITY

2000 Sq. Ft. 2B

NON CORNER PLOT ₹ 999/-
CORNER PLOT ₹ 1099/-

MY *Flame*

